कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक / 3822 / भू–अर्जन / अविअ / 2019 कटघोरा, दिनांक 28 / 08 / 2019

प्रति,

कलेक्टर
(भू–अभिलेख शाखा)
कोरबा

विषय :– **कोरबा जिले में कटघोरा वन मण्डल के अंतर्गत एसईसीएल गेवरा खुली खदान हेतु (गेवरा 81.380 हे. व खोड़री 12.913 हे. कुल रकबा 94.293 हे.) गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।**

संदर्भित विषयांतर्गत कोरबा महाप्रबंधक एसईसीएल गेवरा क्षेत्र द्वारा कोरबा जिले में कटघोरा वन मण्डल के अंतर्गत एसईसीएल गेवरा खुली खदान हेतु (गेवरा 81.380 हे. व खोड़री 12.913 हे. कुल रकबा 94.293 हे.) गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने बाबत् पत्र प्राप्त होने पर उक्त संबंध में अनुभाग कटघोरा के अंतर्गत वन अधिकार समिति के सदस्यों की बैठक दिनांक 31.07.2019 को इस कार्यालय में समय दोपहर 12.00 बजे आहुत किया गया था। वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जो मूलतः संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कटघोरा की बैठक दिनांक 31/07/2019

:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::

एस.ई.सी.एल. गेवरा खुली खदान विस्तार परियोजना के अंतर्गत कोरबा जिले के वनमंडल कटघोरा के अंतर्गत आने वाले आरक्षित / संरक्षित राजस्व वनभूमि का कुल रकबा 94.293 हे. प्रभावित हो रहा है । जिसमें तहसील कटघोरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम गेवरा का कुल खसरा नं. 9, कुल रकबा नं. 81.380 हे. एवं ग्राम खोडरी का कुल रकबा 12.913 हे. है । वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित राजस्व वनभूमि ग्रामवार, खसरावार विवरण निम्न है -

क्र	ग्राम का नाम	आवेदित खसरा नंबर	आवेदित रकबा
1	गेवरा	153,277,481,579,585,957,959, 1182,1241	81.380हे.
2	खोडरी	40,242/1, 242/3	12.913हे.
	महा योग		94.293 हे.

इस व्यपवर्तन प्रकरण के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2007 यथा संशोधित नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो राजस्व वंभूमि ग्राम गेवरा एवं खोडरी कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी अधिवासी गै परंपरागत वन निवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य अवास या अन्य पारंपरिक गतिविधि सम्पादित नहीं कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार पत्र (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है ।

उपरोक्तानुसार उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति कटघोरा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाकर अनापत्ति पत्र जारी किया गया ।

अनुविभागीय अधिकारी (वन) पाली एवं सदस्य
अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति कटघोरा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पाली
अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति कटघोरा
जिला – कोरबा (छ.ग.)

अध्यक्ष जनपद पंचायत कटघोरा एवं सदस्य
अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति कटघोरा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत – कटघोरा
जिला – कोरबा (छ. ग.)
23/08/19

गंगोत्री 31/7/19
सदस्य जनपद सदस्य क्षेत्र क्र. 07
अध्यक्ष जनपद पंचायत पाली एवं सदस्य
अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति कटघोरा
जनपद पंचायत पाली
जिला – कोरबा (छ.ग.)

अध्यक्ष, 31/7/19
जनपद पंचायत पाली,
जिला – कोरबा (छ. ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा एवं अध्यक्ष
अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति कटघोरा

SEEPAT ROAD
P.O.: SECL
BILASPUR

साउथईस्टर्नकोलफिल्डस्लिमिटे
South Eastern Coalfields Limited
(कोलइण्डियाकाएकअंश/A subsidiary of Coal India Ltd.)
CIN U10102CT1985GOI003161
Website : www.secl.gov.in
कार्यालय: महाप्रबंधक, गेवरा क्षेत्र
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
GEVRA AREA

STD :07815 275430(O)
: 7815 275032(R)
Fax :07815 275434
email :gevraenvt@gmail.com

P.O. : GEVRA PROJECT
Distt.: Korba (C.G.)
Pin: 495452

पो0आ0:गेवराप्रोजेक्ट
जिला: कोरबा(छत्तीसगढ़)
पिन:495452

दिनांक 23 /07/2019

क्रमांक/एस.ई.सी.एल/मप्र/गे.क्षे./ पर्यावरण/2019 / 152

प्रति,

कलेक्टर, कोरबा
कोरबा(छ.ग.)

विषयः– कोरबा जिले के कटघोरा वनमण्डल के अंतर्गत एसईसीएल गेवरा खुली खदान के लिए (गेवरा 81.380 हे. व खोडरी 12.913 हे. कुल रकबा 94.293 हे.) गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

संदर्भः–
1. कार्यालयीन पत्र कमांक 517 / भू.अ. / स.अ.भू.अ. / 2016 कोरबा दिनांक 17.02.2016 व पत्र कमांक / 519 / भू.अ. / स.अ.भू.अ. / 2016 कोरबा दिनांक 17.02.2016
2. एसईसीएल द्वारा उपरोक्त वनभूमि का उपयोग किये जाने हेतु खसरावार विभाजन के लिए पत्र क्रमांक / एसईसीएल / मप्र / गे.क्षे. / सर्वे / आर–2 / 2017 / 426 दिनांक 07.03. 2017
3. प्रभारी अधिकारी(एफआरए) कोरबा(छ.ग.) का पत्र क. / 1839 / भू.अ. / वन.अधि. / 2018 कोरबा दिनांक 21.06.2018
4. अपर कलेक्टर कोरबा(छ.ग.) का पत्र क0 / 918 / भू.अ. / स.अ.भू.अ. / 2018 कोरबा दि.19. 03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि गेवरा परियोजना का विस्तार 35 मिलियन टन से 70 मिलियन टन किया गया है के अंतर्गत निम्न चिन्हांकित राजस्व वन भूमि गेवरा द्वारा उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में निम्नांकित सभी राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कुसमुण्डा परियोजना को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की गई थी। जो वर्तमान में संशोधित कर गेवरा विस्तार परियोजना हेतु कुल 94.293 हे.(गेवरा 81.380 हे. व खोडरी 12.913 हे.) व कुसमुण्डा परियोजना द्वारा कुल 21.915 हे. (गेवरा 17.119 हे. व खोडरी 4.796 हे.) राजस्व वन भूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

अवेदित भूमि का खसरावार उपयोग की जाने वाली तालिका निम्न है।

SEEPAT ROAD
P.O.: SECL
BILASPUR

साउथईस्टर्नकोलफिल्डस्लिमिटे
South Eastern Coalfields Limited
(कोलइण्डियाकाएकअंश/A subsidiary of Coal India Ltd.)
CIN U10102CT1985GOI003161
Website : www.secl.gov.in
कार्यालय: महाप्रबंधक, गेवरा क्षेत्र
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
GEVRA AREA

STD :07815 275430(O)
: 7815 275032(R)
Fax :07815 275434
email :gevraenvt@gmail.com

पो0आ0:गेवराप्रोजेक्ट
जिला: कोरबा(छत्तीसगढ़)
पिन:495452

P.O. : GEVRA PROJECT
Distt.: Korba (C.G.)
Pin: 495452

क्रमांक/एस.ई.सी.एल/मप्र/गे.क्षे./ पर्यावरण/2019 / 152

दिनांक 23/07/2019

क्र.	ग्राम का नाम	आवेदित खसरा नंबर	संशोधित कुल.आवेदित रकबा	गेवरा परियोजना के लिया आवेदित रकबा	कुसमुंडा परियोजना के लिया आवेदित रकबा	मद
1.	2.	3.	4	5	6	7
1	गेवरा	16	-	-	-	बडे झाड का जंगल
2		26	-	-	-	-"-
3		30	-	-	-	-"-
4		40	-	-	-	-"-
5		121	-	-	-	-"-
6		153	76.07	76.07	-	-"-
7		277	24.26	24.26	-	-"-
8		481	2.20	2.20	-	-"-
9		579	0.16	0.16	-	-"-
10		585	2.65	2.65	-	-"-
11		957	11.64	11.64	-	-"-
12		959	15.05	15.05	-	-"-
13		966	-	-	-	-"-
14		990	-	-	-	-"-
15		1182	108.23	68.81	39.42	-"-
16		1184	2.88	-	2.88	-"-
17		1241	0.25	0.25	-	-"-
	योग		243.39 (98.499 हे.)	201.09 (81.380 हे.)	42.30 (17.119 हे.)	-"-
18	खोडरी	40	18.52	6.67	11.85	-"-

SEEPAT ROAD
P.O.: SECL
BILASPUR

साउथईस्टर्नकोलफिल्डस्लिमिटे
South Eastern Coalfields Limited
(कोलइण्डियाकाएकअंश/A subsidiary of Coal India Ltd.)
CIN U10102CT1985GOI003161
Website : www.secl.gov.in
कार्यालयः महाप्रबंधक, गेवरा क्षेत्र
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
GEVRA AREA

STD :07815 275430(O)
: 7815 275032(R)
Fax :07815 275434
email :gevraenvt@gmail.com

पो0आ0:गेवराप्रोजेक्ट
जिलाः कोरबा(छतीसगढ़)
पिन:495452

P.O. : GEVRA PROJECT
Distt.: Korba (C.G.)
Pin: 495452

क्रमांक/एस.ई.सी.एल/मप्र/गे.क्षे./ पर्यावरण/2019 / 152

दिनांक 23/07/2019

						-"-
19		242 / 1	25.14	25.14	-	-"-
20		242 / 3	0.10	0.10	-	-"-
	योग		43.76 (17.709 हे.)	31.91 (12.913 हे.)	11.85 (4.796 हे.)	-"-
	कुल योग		287.15 (116.202 हे.)	233.00 (94.293 हे.)		-"-

उपरोक्तानुसार गेवरा परियोजना द्वारा कुल 94.293 हे. (गेवरा 81.380 हे. व खोडरी 12.913 हे.) व कुसमुण्डा परियोजना द्वारा कुल 21.915 हे. (गेवरा 17.119 हे. व खोडरी 4.796 हे.) राजस्व वन भूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। गेवरा व खोडरी के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु आवश्यक संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत आवश्यक संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीय

महाप्रबंधक
एसईसीएल, गेवरा क्षेत्र

प्रतिलिपिः
1.– अनुविभगीय अधिकारी (रा) कटघोरा जिलाः कोरबा– सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2.– प्रभारी अधिकारी (एफआरए) जिलाः कोरबा– सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र के कुसमुण्डा विस्तार ओपनकास्ट परियोजना (10-15 मी.टन/वर्ष एवं 15-50 मी.टन/वर्ष) के आवेदित राजस्व वन भूमि का विवरण

क्र.	अनुविभाग का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (एकड़ में)	संशोधित कुल रकबा (एकड़ में)	कुसमुण्डा परियोजना के लिये आवेदित रकबा (एकड़ में)	गेवरा परियोजना के लिये आवेदित रकबा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कटघोरा	कटघोरा	गेवरा	16	2.17	निरंक	-	-
2				26	0.28	निरंक	-	-
3				30	4.59	निरंक	-	-
4				40	1.28	निरंक	-	-
5				121	1.45	निरंक	-	-
6				153	76.07	76.07	-	76.07
7				277	24.26	24.26	-	24.26
8				481	2.20	2.20	-	2.20
9				579	0.16	0.16	-	0.16
10				585	2.65	2.65	-	2.65
11				957	11.64	11.64	-	11.64
12				959	15.05	15.05	-	15.05
13				966	0.10	निरंक	-	-
14				990	0.07	निरंक	-	-
15				1182	108.23	108.23	39.42	68.81
16				1184	2.88	2.88	2.88	-
17				1241	0.25	0.25	-	0.25
			योग		253.33 (102.521 हे.)	243.39 (98.499 हे.)	42.30 (17.119 हे.)	201.09 (81.380 हे.)
18	कटघोरा	कटघोरा	खोडरी	40	18.52	18.52	11.85	6.67
19				242 / 1	25.14	25.14	-	25.14
20				242 / 3	0.10	0.10	-	0.10
			योग		43.76 (17.709 हे.)	43.76 (17.709 हे.)	11.85 (4.796 हे.)	31.91 (12.913 हे.)

अधीन कुसमुण्डा क्षेत्र

14.8.18 व. राजस्व निरीक्षक कुसमुण्डा क्षेत्र

14/8/2018 स्टाफ अधिकारी (भू.रा.) कुसमुण्डा क्षेत्र

14/8/18 क्षेत्रीय सर्वेक्षण अधिकारी कुसमुण्डा क्षेत्र

14.08.18 स्टाफ अधिकारी (यो./परि.) कुसमुण्डा क्षेत्र

13.8.18 नोडल अधिकारी (पर्या./वन) कुसमुण्डा क्षेत्र

Scanned by CamScanner

क्र.	अनुविभाग का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (एकड़ में)	संशोधित कुल रकबा (एकड़ में)	कुसमुण्डा परियोजना के लिये आवेदित रकबा (एकड़ में)	गेवरा परियोजना के लिये आवेदित रकबा (एकड़ में)
21	कटघोरा	कटघोरा	पड़निया	532	0.13	0.13	0.13	-
			योग		0.13 (0.053 हे.)	0.13 (0.053 हे.)	0.13 (0.053 हे.)	-
22	कटघोरा	कटघोरा	पाली	204	0.48	0.48	0.48	-
			योग		0.48 (0.194 हे.)	0.48 (0.194 हे.)	0.48 (0.194 हे.)	-
23	कटघोरा	कटघोरा	सोनपुरी	27 / 1	13.74	13.74	13.74	-
24				294	2.22	2.22	2.22	-
25				370 / 1	8.71	8.71	8.71	-
26				431 / 1	2.41	2.41	2.41	-
27				446 / 2	0.14	0.14	0.14	-
28				446 / 3	0.74	0.74	0.74	-
29				447	11.63	11.63	11.63	-
30				491	1.53	1.53	1.53	-
31				519	4.60	4.60	4.60	-
32				574	1.15	1.15	1.15	-
33				587	0.55	0.55	0.55	-
34				591	5.00	5.00	5.00	-
35				631	1.20	1.20	1.20	-
36				636	0.20	0.20	0.20	-
			योग		53.82 (21.780 हे.)	53.82 (21.780 हे.)	53.82 (21.780 हे.)	-
			कुल योग		351.52 (142.257 हे.)	341.58 (138.235 हे.)	108.58 (43.942 हे.)	233.00 (94.293 हे.)

14.8.18 14/8/2018 14/8/18 14.08.18 13.08.18

अमीन कुसमुण्डा क्षेत्र | व. राजस्व निरीक्षक कुसमुण्डा क्षेत्र | स्टाफ ऑफिसर (भू.रा.(कुसमुण्डा क्षेत्र | क्षेत्रीय सर्वेक्षण अधिकारी कुसमुण्डा क्षेत्र | स्टाफ ऑफिसर)यो./परी.(कुसमुण्डा क्षेत्र | नोडल अधिकारी (पर्या./वन(कुसमुण्डा क्षेत्र

Scanned by CamScanner

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
South Eastern Coalfields Limited
A subsidiary of Coal India Ltd.
कार्यालय महाप्रबंधक गेवरा क्षेत्र.
OFFICE OF THE
GENERAL MANAGER
GEVRA AREA

Gram: GEVRA COAL
STD: 07815
TELE: 275430 (O) 275030 (O) 275432 (R) 275030 (R)
FAX: 07815 275434
P.O. Distt: GEVRA PROJECT Korba (C.G.) 495452

Details of Revenue Forest Land to be diverted under forest conservation Act 1980 (II)

Sl.No.	Village	Khasra No.	Area in Hect.	Remark
1	Gevra	153	30.785	BJJ
2		277	9.818	BJJ
3		481	0.890	BJJ
4		579	0.065	BJJ
5		585	1.072	Jungle
6		957	4.711	BJJ
7		959	6.091	Jungle
8		1182 (P)	27.847	Jungle
9		1241	0.101	BJJ
	Sub Total-		81.380	
10	Khodri	40 (P)	2.699	Jungle
11		242/1	10.174	BJJ
12		242/3	0.040	BJJ
	Sub Total-		12.913	
	Grand Total		94.293	

Area Survey Officer
Gevra Area

Nodal Officer (Env.& Forest)
Gevra Area

Nodal Officer (L&R)
Gevra Area

General Manager
Gevra Area

संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन

विषय: कोरबा जिले में कटघोरा वनमण्डल के अंतर्गत एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के गेवरा खुली खदान विस्तार परियोजना के लिए (ग्राम: गेवरा – 81.380 हे. ग्राम: खोडरी – 12.913 हे. कुल रकबा 94.293 हे.) राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वावत् संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन।

सन्दर्भ: (1) डिप्टी कलेक्टर कोरबा का पत्र क्रमांक / 1080 / भू.अ. / स.अ.भू.अ. / 2017 / कोरबा दिनांक 31.03.2017।

(2) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा का पत्र क्रमांक / 1594 / अविअ / भू-अर्जन / 2017 कटघोरा दिनांक 10.04.2017।

कोरबा जिले में कटघोरा वनमण्डल के अंतर्गत एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के गेवरा खुली खदान विस्तार परियोजना के लिए (ग्राम: गेवरा – 81.380 हे. ग्राम: खोडरी – 12.913 हे. कुल रकबा 94.293 हे.) राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु संदर्भित पत्रों द्वारा वन अधिकार पत्र वितरण, विशेष पिछड़ी जाति निवासरत एवं शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा जैसे अस्पताल, आंगन बाड़ी भवन, पंचायत भवन, पाठशाला भवन इत्यादि के संबंध में संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन चाही गई है। दिनांक 20.04.2017 को एसईसीएल गेवरा क्षेत्र, राजस्व विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं वन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारिओं की उपस्थिति में संयुक्त स्थल जांच किया गया। संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन निम्नानुसार है।

20.4.17

20/4/17
वरिष्ट प्रबंधक / नोडल आफिसर
Sr. Manager/Nodal Officer

परिक्षेत्र सहायक
दीपका

20

20/04/2017
एम. एल. कैवर्त
पटवारी
प.ह.नं. 21/22 रा.नि.म. ...
तह. कटघोरा, जिला–कोरबा (छ.ग.)

स्टाफ ऑफिसर (भू. राजस्व)
एसईसीएल, गेवरा क्षेत्र
Staff Officer (L&R)
SECL, Gevra Area

20/04/17

क्र.	अनुविभाग का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (एकड़ में)	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	गेवरा परियोजना के लिये आवेदित रकबा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	5
1	कटघोरा	कटघोरा	गेवरा	16	2.17	निरंक	-
2				26	0.28		-
3				30	4.59		-
4				40	1.28		-
5				121	1.45		-
6				153	76.07		76.07
7				277	24.26		24.26
8				481	2.20		2.20
9				579	0.16		0.16
10				585	2.65		2.65
11				957	11.64		11.64
12				959	15.05		15.05
13				966	0.10		-
14				990	0.07		-
15				1182	108.23		68.81
16				1184	2.88		-
17				1241	0.25		0.25
			योग		253.33 (102.521 हे.)		201.09 (81.380 हे.)
18	कटघोरा	कटघोरा	खोडरी	40	18.52	निरंक	6.67
19				242 / 1	25.14		25.14
20				242 / 3	0.10		0.10
			योग		43.76 (17.709 हे.)		31.91 (12.913 हे.)
			कुल योग		297.09 (120.23)		233.00 (94.293 हे.)

आवेदित खसरा न. एवं रकबा में वन अधिकार पत्र वितरण नहीं किया गया है तथा वितरण हेतु शेष नहीं है विशेष पिछड़ी जन जाति निवासरत नहीं है एवं शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा जैसे अस्पताल, आंगन बाड़ी भवन, पंचायत भवन, पाठशाला भवन इत्यादि नहीं होना पाया गया है।

अतः एसईसीएल गेवरा क्षेत्र द्वारा आवेदित भूमि कुल रकबा 94.293 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिक्षेत्र सहायक
दीपका

20.4.17

20/04/17

20/4/17
वरिष्ठ प्रबंधक, नोडल अधि
Sr Manager/Nodal O

20/04/17
एम. एल. कैव
पटवारी
प.ह.नं. ..... रा.नि.
तह. कटघोरा, जिला-को

सहायक अधिकारी (भू. एवं रा.)
... Officer (L&R)
SECL, Gevra Area

272
22/4/17

1204
21/4/17

कोन व फैक्स नं. : 07815-...
Email ID - ...

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक / 1594 / अविअ / भू–अर्जन / 2017 — कटघोरा, दिनांक 10/04/2017

प्रति,

1. वनमण्डलाधिकारी
   वनमण्डल कटघोरा
2. तहसीलदार
   ~~कटघोरा~~ दीपका

विषय :– कोरबा जिले के कटघोरा वनमण्डल के अंतर्गत एसईसीएल गेवरा खुली खदान (रकबा 94.293 हे.) एवं एसईसीएल कुसमुण्डा खुली खदान (कुल रकबा 47.964) कुल रकबा 142.257 हे. के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

संदर्भ :– कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा), कोरबा का पत्र क./1080/भू.अ./स.अ.भू.अ./2017 कोरबा दिनांक 31.03.2017

संदर्भित विषयांतर्गत कटघोरा वनमण्डल के अंतर्गत एसईसीएल गेवरा खुली खदान हेतु ग्राम गेवरा, खोड़री अंतर्गत कुल रकबा 94.293 हे. एवं एसईसीएल कुसगुण्डा खुली खदान हेतु ग्राम गेवरा, खोड़री, पंड़निया, पाली, सोनपुरी अंतर्गत कुल रकबा 47.964 हे. कुल रकबा 142.257 हे. के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने बाबत् प्रतिवेदन चाहा गया है।

अतः उक्त संबंध में दिनांक 20/4/2017 को संयुक्त स्थल निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन सहित वन अधिकार पत्र वितरण एवं शेष के संबंध में जानकारी इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

Nodal Officer (ESV)
22/4/17
GM(O)

अनुविभागीय अधिकारी
कटघोरा

पृ.क्रमांक / 1595 / भू–अर्जन / आविअ / 2017 — कटघोरा, दिनांक 10/4/2017

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी कोरबा को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कटघोरा को सूचनार्थ एवं ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
3. महाप्रबंधक एसईसीएल गेवरा/कुसमुण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा), जिला– कोरबा (छ.ग.)

क्र./ 1080 /भू.अ./स.अ.भू.अ./2017 कोरबा, दिनांक 31/3/2017

प्रति,

1. वनमण्डलाधिकारी
   कटघोरा
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
   कटघोरा
   जिला–कोरबा(छ.ग.)

विषय :– कोरबा जिले के कटघोरा वनमण्डल के अंतर्गत एसईसीएल गेवरा खुली खदान(रकबा 94.293 हे.) एवं एसईसीएल कुसमुण्डा खुली खदान(कुल रकबा 47.964) कुल रकबा 142.257 हेक्टेयर के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

संदर्भ :– 1. महाप्रबंधक एसईसीएल गेवरा क्षेत्र कोरबा का पत्र क्रमांक/एसईसीएल/मप्र/गे.क्षे./पर्यावरण/2017/338 दिनांक 08.03.2017।
2. महाप्रबंधक एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र कोरबा का पत्र क्रमांक SECL/GM/KA/17/318 Date 17.03.2017।

----000----

संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है, कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। कार्यालयीन पत्र क्रमांक/517/भू.अ./स.अ.भू.अ./2016 कोरबा दिनांक 17.02.2016 तथा क्रमांक 519 दिनांक 17.02.2016 के द्वारा एसईसीएल कुसमुण्डा को कुसमुण्डा खुली खदान विस्तार हेतु 142.257 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा एफआरए प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

महाप्रबंधक एसईसीएल गेवरा एवं कुसमुण्डा द्वारा जारी 142.257 हेक्टेयर को विभाजन कर अलग–अलग दो परियोजना हेतु संशोधित प्रमाण पत्र बाबत् निवेदन किया है, जो निम्न है :–

क्र	ग्राम का नाम	कुल रकबा (हे. में)	एसईसीएल कुसमुण्डा (हे. में)	एसईसीएल गेवरा (हे. में)
1	गेवरा	102.521	21.141	81.380
2	खोडरी	17.709	4.796	12.913
3	पड़निया	0.053	0.053	—
4	पाली	0.194	0.194	—
5	सोनपुरी	21.780	21.780	—
	योग	**142.257**	**47.964**	**94.293**

अतः उक्त परियोजना हेतु राजस्व वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोजन एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र हेतु ग्राम सभा ठहराव प्रस्ताव, संयुक्त स्थल जांच, खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति का अनुमोदन प्रस्ताव सहित अभिमत **परियोजना अनुसार** शीघ्र इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

डिप्टी कलेक्टर
कोरबा (छ०ग०)

//2//

पृ. क्र. /1080/ भू.अ. / स.अ.भू.अ. / 2017 कोरबा दिनांक 31/3/2017

प्रतिलिपि :–

1. महाप्रबंधक एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र कुसमुण्डा जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक एसईसीएल गेवरा क्षेत्र गेवरा जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ।

डिप्टी कलेक्टर
कोरबा (छ०ग०)

H/D (Env)

Regd. Office:
SEEPAT ROAD,
P.O.: SECL
BILASPURI

Under Jurisdiction of Bilaspur Court Only

साउथ ईस्टर्न कोलफिल्डस् लिमिटेड

South Eastern Coalfields Limited

कोल इण्डिया का एक अंश/A subsidiary of Coal India Ltd.)

CIN U10102CT1985GO1003161

Website : www.secl.gov.in

GRAM: GEVRA COAL
STD: 07815 275430(O)
07815 275032(R)
Fax: 07815 275434
e-mail – noenvgevra@gmail.com

कार्यालय: महाप्रबंधक, गेवरा क्षेत्र

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER
GEVRA AREA

पो0 आ 0: गेवरा प्रोजेक्ट
जिला: कोरबा (छत्तीसगढ़)
पिन:495452

P.O.: GEVRA PROJECT
Distt.: Korba (C.G.)
Pin: 495452

क्रमांक /एस.ई.सी.एल /मप्र /गे.क्षे./ पर्यावरण / 2017 / 338 दिनांक 08 /03/17

प्रति,

कलेक्टर, कोरबा

जिला - कोरबा (छ.ग.)

विषय :- कोरबा जिले के कटघोरा वनमण्डल के अंतर्गत एस.ई.सी.एल. गेवरा खुली खदान के लिए (गेवरा **102.521 हे.** व खोडरी **17.709 हे.** कुल रकबा **120.23**) के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने बाबत ।

संदर्भ - (1) आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 517 / भू.अ. / स.अ.भू.अ. / 2016 कोरबा दिनांक 17.02.2016 व पत्र क्रमांक / 519 / भू.अ. / स.अ.भू.अ. / 2016 कोरबा दिनांक 17.02.2016 .

(2) एस.ई.सी.एल. द्वारा उपरोक्त वनभूमि का उपयोग किये जाने हेतु खसरावार विभाजन के लिए पत्र क्रमांक / एसईसीएल / मप्र / गे क्षे / सर्वे / आर-2/2017 / 426 दिनांक 07.03.2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत यह लेख है कि गेवरा परियोजना का विस्तार 35 मिलियन टन से 70 मिलियन टन किया गया है जिसके अंतर्गत निम्न चिन्हाकिंत राजस्व वन भूमि गेवरा द्वारा उपयोग किया जाना प्रस्तावित है । पूर्व में निम्नांकित सभी राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कुसमुंडा परियोजना को अनापति प्रमाण पत्र प्रदान की गई थी । वर्तमान में राजस्व वनभूमि का उपयोग कुसमुंडा विस्तार परियोजना एवं गेवरा विस्तार परियोजना द्वारा किया जाना प्रस्तावित है ।आवेदित भूमि का खसरावार उपयोग की जाने वाली तालिका निम्न है ।

क्र.	ग्राम का नाम	आवेदित खसरा नंबर	कुल.आवेदित रकबा	गेवरा परियोजना के लिया आवेदित रकबा	कुसमुंडा परियोजना के लिया आवेदित रकबा	मद
1.	2.	3.	4	5	6	7
1	गेवरा	16	2.17	-	2.17	. बडे झाड का जंगल
2		26	0.28	-	0.28	-"-
3		30	4.59	-	4.59	-"-
4		40	1.28	-	1.28	-"-
5		121	1.45	-	1.45	-"-
6		153	76.07	76.07	-	-"-
7		277	24.26	24.26	-	-"-
8		481	2.20	2.20	-	-"-
9		579	0.16	0.16	-	-"-
10		585	2.65	2.65	-	-"-
11		957	11.64	11.64	-	-"-
12		959	15.05	15.05	-	-"-
13		966	0.10	-	0.10	-"-
14		990	0.07	-	0.07	-"-
15		1182	108.23	68.81	39.42	-"-
16		1184	2.88	-	2.88	-"-
17		1241	0.25	0.25	-	-"-
	. योग		**253.33 (102.521 हे.)**	**201.09 (81.380 हे.)**	**52.24 (21.141 हे.)**	-"-
18	. खोडरी	40	18.52	6.67	11.85	-"-
19		242 / 1	25.14	25.14	-	-"-
20		242 / 3	0.10	0.10	-	-"-
	योग		**43.76 (17.709 हे.)**	**31.91 (12.913 हे.)**	**11.85 (4.796 हे.)**	-"-
	कुल योग		**297.09 (120.230)**	**94.293 हे.**	**25.937 हे.**	-"-

lal

उपरोक्त तालिका के अनुसार गेवरा परियोजना द्वारा कुल 94.293 हे. (**गेवरा 81.380** हे. व खोडरी **12.913** हे.) व कुसमुंडा परियोजना द्वारा कुल 25.937 हे.(**गेवरा 21.141 हे.व** खोडरी **4.796 हे.**) राजस्व वन भुमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है । गेवरा व खोडरी के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु आवश्यक संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत आवश्यक संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें ।

भवदीय

8/3/17

महाप्रबंधक

एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र

संलग्न - यथोपरि

SECL/CGM/KSM AREA
Receipt 3567
Date 20/2/16

प्रदर्श – 'स'

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा छत्तीसगढ़

//प्रमाण पत्र//

क्र./519 /भू.अ./स.अ.भू.अ./2016 कोरबा दिनांक 17/2/2016

मेसर्स महाप्रबंधक एसईसीएल कुसमुण्डा को कुसमुण्डा खुली खदान विस्तार परियोजना कार्य हेतु कोरबा जिला में कोरबा वनमण्डल के गेवरा, खोडरी, पड़निया, पाली, सोनपुरी (रकबा क्रमशः 102.521 हे0, 17.709 हे0, 0.053 हे0, 0.194 हे0, 21.780 हे0 कुल रकबा 142.257 हेक्टेयर) गांव के राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु कुल रकबा 142.257 हेक्टेयर के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत संपूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण क्षेत्र की वन भूमि 0.00 हेक्टेयर एवं राजस्व वन भूमि 142.257 हेक्टेयर जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम गेवरा, खोडरी, पड़निया, पाली, सोनपुरी तहसील कटघोरा में स्थित है में तदनुसार कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 16.02.2016, 16.02.2016, 16.02.2016, 16.02.2016, (प्रदर्श 'अ') एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श 'ब') पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में ग्राम सभा की बैठकें दिनांक 16.02.2016 को ग्राम खोडरी में सरपंच श्री लक्ष्मण सिंह कंवर, ग्राम पड़निया में सरपंच श्री हीरालाल, ग्राम पाली में सरपंच श्री संतराम तथा ग्राम सोनपुरी में सरपंच श्री भोपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई। उक्त सभी ग्रामों में ग्राम सभा तथा वन ग्राम समिति के 50% से अधिक सदस्य उपस्थित थे। जिनको प्ररियोजना के क्रियॉन्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में समझाईश दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं है।
3. ग्राम गेवरा नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत होने से आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा से अभिमत लिया गया। जिसमें उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं होने का लेख है।

//2//

Scanned by CamScanner

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गये उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50% सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
5. यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम खोडरी, पड़निया, पाली, सोनपुरी में संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 16.02.2016 एवं सभी ग्रामों के ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16.02.2016 के अनुसार ऐसे विलुप्त प्राय जनजाति समूह (पीटीजी) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
6. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन ग्राम खोडरी, पड़निया, पाली, सोनपुरी एवं दिनांक 16.02.2016 को ग्राम सभा के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(पी. दयानन्द)
कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष –जिला वन अधिकार समिति
जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ.क्र./520 /भू.अ./स.अ.भू.अ./2016

कोरबा, दिनांक 17/2/2016

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रलय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वनमण्डलाधिकारी कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
4. महाप्रबंधक एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र कुसमुण्डा की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष –जिला वन अधिकार समिति
जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़)

Scanned by CamScanner

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा छत्तीसगढ़

क्र./517 /भू.अ./स.अ.भू.अ./2016 कोरबा दिनांक 17/2/2016

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **कोरबा जिले में कटघोरा वनमण्डल के अंतर्गत एसईसीएल कुसमुण्डा वन क्षेत्र के कुसमुण्डा खुली खदान विस्तार परियोजना हेतु 142.257 हे0 राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने विषयक।**

संदर्भ :– **महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र का पत्र क्र. Reff.Mo./SECL/GM/KA/ 15-16/273, दिनांक 04.01.2016।**

——000——

विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा द्वारा कुसमुण्डा खुली खदान विस्तार परियोजना हेतु ग्राम गेवरा, खोडरी, सोनपुरी, पाली, पड़निया में कुल रकबा 142.257 हे0 राजस्व वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत् निवेदन किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी रा. कटघोरा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार :–

क्र	ग्राम का नाम	आवेदित खसरा नंबर	आवेदित रकबा	मंद	अन्य विवरण
1	2	3	5	6	7
1	गेवरा	16	2.17	बड़े झाड़ का जंगल	
2		26	0.28	–"–	–
3		30	4.59	–"–	–
4		40	1.28	–"–	–
5		121	1.45	–"–	–
6		153	76.07	–"–	–
7		277	24.26	–"–	–
8		481	2.20	–"–	–
9		579	0.16	–"–	–
10		585	2.65	–"–	–
11		957	11.64	–"–	–

//2//

Scanned by CamScanner

12		959	15.05	बड़े झाड़ का जंगल	—
13		966	0.10	—"—	—
14		990	0.07	—"—	—
15		1182	108.23	—"—	—
16		1184	2.88	—"—	—
17		1241	0.25	—"—	—
	योग		253.33 (102.521 हे0)		
18	खोडरी	40	18.52	—"—	—
19		242/1	25.14	—"—	—
20		242/3	0.10	—"—	—
	योग		43.76 (17.709 हे0)		
21	पड़निया	532	0.13 (0.053)	—"—	—
22	पाली	204	0.48 (0.194)	—"—	—
23	सोनपुरी	27/1	13.74	—"—	—
24		294	2.22	—"—	—
25		370/1	8.71	—"—	—
26		431/1	2.41	—"—	—
27		446/2	0.14	—"—	—
28		446/3	0.74	—"—	—
29		447	11.63	—"—	—
30		491	1.53	—"—	—
31		519	4.60	—"—	—
32		574	1.15	—"—	—
33		587	0.55	—"—	—
34		591	5.00	—"—	—
35		631	1.20	—"—	—
36		636	0.20	—"—	—
	योग		53.82 (21.780 हे0)		
	कुल योग		351.52 (142.257 हे0)		

उपरोक्त आवेदित नंबरो के संबंध में सक्षम विभाग को निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल एसईसीएल कुसमुण्डा खुली खदान परियोजना हेतु उपयोग के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए नहीं।
2. कुसमुण्डा, खुली खदान परियोजना के निर्माण में किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी आवेदक संस्थान की होगी।
3. इस अनुमति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है।

Scanned by CamScanner

4. खुली खदान परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायालय/विभाग से लिया जाना होगा।
5. आवेदित भूमि पर सीमांकन उपरांत शासन द्वारा निर्मित/संचालित भवन स्थित होने पर संबंधित भवन का मूल्यांकन उपरांत मूल्यांकित राशि छत्तीसगढ़ शासन को देय होगी।
6. खुली खदान परियोजना में वन संरक्षण अधिनियम लागू होने पर संबंधित विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
7. सीमांकन उपरांत आवेदित क्षेत्र में वन अधिकार पत्र वितरण होना पाया जाता है तो उक्त स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति 2007 का उचित पालन एवं वन अधिकार पत्र धारियो के उचित व्यवस्थापन किये जाने की शर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है।

(पी. दयानंद) 17/02/16
कलेक्टर
कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ. क्र./518 /भू.अ./स.अ.भू.अ./2016 कोरबा दिनांक 17/2/2016

प्रतिलिपि :-

1. वन मण्डलाधिकारी, कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.)कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
3. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र, कुसमुण्डा की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)
कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)

Scanned by CamScanner

प्रदश–"ब"

ग्राम सभा ....खोड़री....की बैठक दिनांक ....16/2/16.

का कार्यवाही विवरण

ग्राम: ....खोड़री

स्थान: ....ग्रा. भवन

दिनांक ....

आज दिनांक ..16/02/2016 को ग्राम ....खोड़री........के सरपंच श्री/श्रीमती....लखन सिंह कंवर ....की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के ....50% .... सदस्य ....प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई:–

1. ग्राम ...खोड़री.....में आवेदक ..S.E.C.L. दिपका..पार्ट, ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु ..17.709..हे. वन भूमि ....—........हे. राजस्व वन भूमि, कुल ..17.709...हे. वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबद विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबद ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि ....कार्य के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रस्ताधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी / गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम.	रकबा (हे.में)
	खोड़री	निरंक	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि ..17.709..हे. वन भूमि / ....हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग ..17.709..हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स ...राजस्व वन भूमि S.E.C.L. कुसमुण्डा (आवेदक)..को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हस्ताक्षर ....

नाम............ सीताकंवर

सरपंच............ सरपंच

सील ग्राम पंचायत – खोडरी
जन.पंचा. – कटघोरा
जिला–कोरवा (छ.ग.)

लखनसिंह
अध्यक्ष

सचिव
ग्राम पंचायत – खोडरी
जन.पंचा. – कटघोरा
जिला–कोरवा (छ.ग.)

उपस्थित सदस्य गण:

क्रमांक नाम हस्ताक्षर / अंगूठा निशान

Scanned by CamScanner

"संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन"

एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र के खुली खदान विस्तार परियोजना हेतु ग्राम ......खोड़री...... के रकबा ...17.709...........हे. राजस्व वन भूमि का राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारी द्वारा दिनांक...16.2.2016...... को संयुक्त जांच किया गया।

1. आवेदित राजस्व वन भूमि रकबा 17.709..... हे. में कोई विलुप्त जनजाति (पीटीजी) के सदस्य निवासरत नहीं है एवं आवेदित भूमि के व्यपवर्तन से प्रभावित नहीं हो रहा है।
2. व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित रकबा 17.709...... हे. पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संयुक्त जांच का विवरण निम्नानुसार :-

ग्राम का नाम	खसरा नंबर	रकबा
खोड़री	40	18.32
	242/1 242/3	25.14
	2	43.76 17.709

16/2/2016
पटवारी
श्री.के.सिंह तंवर
प.ह.न. ...21...
तहसील – कटघोरा
जि.–कोरबा (छ.ग.)

16/2/2016
रा०नि० दीपका

पटवारी दीपका
16/2/2016

व०र०/अमगांव/कोरबा
16/2/2016

16/02/2016

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र कटघोरा

16/02/16
डिप्टी कलेक्टर (भू)

Scanned by CamScanner

स्पीड पोस्ट

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छ.ग.)

क्र./ 157/ भू.अ./स.अ.भू.अ./2016

कोरबा दिनांक 11.2.2016

//प्रमाण पत्र//

प्रदर्श "स"

मेसर्स महाप्रबंधक एसईसीएल कुसमुण्डा को खुली खदान परियोजना कार्य हेतु कोरबा जिला में कटघोरा वनमंडल के गेवरा, मनगांव, दुरपा, बरपाली, दुरलापुर, जरहाजेल, खम्हरिया, बरकुटा, गेवरा(भैसमाखार), मनगांव ग्राम के राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन हेतु(रकबा क्रमशः 195.97, 96.18, 117.35, 179.38, 24.67, 46.66, 90.60, 50.27, 178.96, 14.08 कुल रकबा 995.72 एकड़) **कुल रकबा 402.966 हेक्टेयर** राजस्व वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वन पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 0.000 हे. एवं राजस्व वन भूमि 402.966 हेक्टेयर जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम गेवरा, मनगांव, दुरपा, बरपाली, दुरलापुर, जरहाजेल, खम्हरिया, बरकुटा, गेवरा(भैसमाखार), मनगांव तहसील कटघोरा में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है। ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 20.01.2016 (प्रदर्श–"अ") एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन (प्रदर्श–"ब") पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव बरकुटा ग्राम के सरपंच श्रीमति कमला बाई की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 20.01.2016 में रखा गया था एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

3. ग्राम गेवरा, मनगांव, दुरपा, बरपाली, दुरलापुर, जरहाजेल, खम्हरिया, गेवरा(भैसमाखार), मनगांव कुल रकबा 382.622 हेक्टेयर. नगर पालिक निगम क्षेत्र होने के कारण आयुक्त नगर पालिक निगम से अभिमत लिया गया है।

4. अभिमत अनुसार 402.966 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि पर व्यपवर्तन में कोई आपत्ति नहीं होने का लेख है।

5. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 20.01.2016 एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 20.01.2016 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी.जी) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार " अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पंरपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

7. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन 20.01.2016 एवं ग्राम सभा के दिनांक 20.01.2016 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पंरपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006" की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई विद्यमान नहीं है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

10/02/16
(पी.दयानन्द)
कलेक्टर
कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला कोरबा छत्तीसगढ़

पृ. क्र/458/ भू.अ./स.अ.भू.अ./2016 कोरबा दिनांक 11·2·2016

प्रतिलिपि–

1. सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डलाधिकारी (कटघोरा) की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कटघोरा की ओर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार (कटघोरा) की ओर सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक एसईसीएल कुसमुण्डा क्षेत्र, कुसमुण्डा की ओर सूचनार्थ।

10/02/16
कलेक्टर
कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला कोरबा छत्तीसगढ़

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग)

मुख्य शाखा : साकेत भवन आई. ाई. चौक, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मु.का. दूभाषः 221288, 222672, फैक्स : 07759- पो. बाक्स नं. : 12 पिन कोड :495677

Website : www.korbamunicipal.in, E rporationkorba@gmail.com

फा.क./योजना/2016 28079 कोरबा, दिनांक 08/02/16

प्रति,

कलेक्टर,
कोरबा(छ.ग.)

विषयः– अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन–निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत्।

संदर्भः– 1. आपका पत्र कमांक–/348/भ–अभि./स.अ.भू.अ./2016 कोरबा दिनांक 02.02.2016,
2. आपका पत्र कमांक–/395/भ–अभि./स.अ.भू.अ./2016 कोरबा दिनांक 06.02.2016

एस.ई.सी.एल.कुसमुण्डा खुली खदान विस्तार परियोजना कार्य हेतु कोरबा जिले में कटघोरा वन मंडल के ग्राम गेवरा, मनगांव, दुरपा, बरपाली, दुरलापुर, जरहाजेल, खम्हरिया, भैसमाखार गांव के राजस्व भूमि व्यपवर्तन हेतु 304.496 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम गेवरा, मनगांव, दुरपा, बरपाली, दुरलापुर, जरहाजेल, खम्हरिया, भैसमाखार जो वार्ड क. 59, 60 एवं 62, नगर पालिक निगम कोरबा के अंतर्गत आते है।
2. उपरोक्त भूमि पर वर्तमान में नगर पालिकं निगम, कोरबा की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। अतः महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र को ग्राम गेवरा, मनगांव, दुरपा, बरपाली, दुरलापुर, जरहाजेल, खम्हरिया, भैसमाखार जो वार्ड क. 59, 60 एवं 62, नगर पालिक निगम कोरबा में खुली खदान विस्तार परियोजना हेतु 304.496 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि पर व्यपवर्तन हेतु नगर पालिक निगम कोरबा को कोई आपत्ति नहीं है।

08/02/16
आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय [illegible] पालिक निगम, कोरबा (छ[illegible])
निर्मा[illegible]त भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ0ग0)
दूरभाष : 221288, 222672, फैक्स : 07759-221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड – 495677
Website : www.korbamunicipal.in, Email : corporationkorba@gmail.com

फा.क्र. / 7898 / निर्माण / 2015 / 24788 कोरबा, दिनांक 05.01.2016

प्रति,

अपर कलेक्टर,
कलेक्टर कार्यालय (भू–अभिलेख शाखा),
जिला – कोरबा (छ.ग.)

विषय :– कोरबा जिले में कटघोरा वन मण्डल के अंतर्गत एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र के कुसमुण्डा परियोजना खुली खदान के राजस्व वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में आदिमजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम (FRA) 2006 के अंतर्गत ग्राम सभा / नगर पालिक निगम के सभा आयोजित करवाने हेतु।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र (भू–अभिलेख शाखा) जिला कोरबा का पत्र क्र. 2498 / भू.अ. / स.अ.भू.अ. / 2015 दिनांक 18.11.2015, पत्र क्र. 2500 / भू.अ. / स.अ.भू.अ. / 2015 दिनांक 18.11.2015 एवं पत्र क्र. 2504 / भू.अ. / स.अ.भू.अ. / 2015 दिनांक 18.11.2015 ।

विषयांन्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार नगर पालिक निगम कोरबा में सम्मिलित एस.ईसी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्रामो की सूची निम्नानुसार है।

1. गेवरा
2. मनगॉव
3. दूरपा
4. बरपाली
5. दुरलापुर
6. जरहाजेल
7. खम्हरिया
8. भैसमाखार

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

Under Jurisdiction of Bilaspur Court Only

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
South Eastern Coalfields Limited
(कोल इण्डिया का एक अंश / A subsidiary of Coal India Ltd.)
कार्यालय : महाप्रबंधक गेवरा क्षेत्र.

OFFICE OF THE
GENERAL MANAGER
GEVRA AREA

Gram GEVRA COAL
S T D 07815
TELE 275430 (O)
275030 (O)
275432 (R)
275030 (R)
FAX 07815 275434

P.O. : GEVRA PROJECT
Distt. Korba (C.G.) 495452

Ref: SECL/GM/GA/SUR/R-2/2017 /426

Date : 07.03.2017

To,

The General Manager (P&P)
SECL, Bilsapur.

Sub: **Village-wise Bifurcation of Land to be used as per PR of 70 MTY Gevra Project & 50 MTY Kusmunda Project within All Right Acquired under CBA (A&D) Act. 1957. Notified Under Section 7 (i) vide SO NO. 2002 (E) New Delhi , 20th July 2015.**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the village-wise bifurcation of land in the village- Gevra, Khodari & Churail to be used as per PR of 70 MTY Gevra Project & 50 MTY Kusmunda Project within All Right Acquired under CBA (A&D) Act. 1957. Notified Under Section 7 (i) vide SO NO. 2002 (E) New Delhi , 20th July 2015 by Kusmunda Area for South Eastern Coalfields Limited.

Encl. : Village wise details of land.

Yours Faithfully

General Manager
Gevra Area

Cc to:
Director Technical (P&P), SECL Bilaspur for kind information.
General Manager, Kusmunda Area
General Manager (L&R), SECL Bilaspur
Area Survey Officer, Gevra Area

OC

SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED

LAND AQUIRED AS ALL RIGHT UNDER CBA (A&D) ACT. 1957 BY KUSMUNDA AREA

SO NO. 2002(E) NEW DELHI,20TH JULY 2015{SECTION 7(I)}

Village wise Bifurcation of Land to be used for 70 MTY Gevra Project & 50 MTY Kusmunda Project

(Village - Gevra (P), Khodri & Churail)

Fig in Acre / Hect

Sl. No	Village	Gevra 70 MTY			Kusmunda 50 MTY			Total			Grand Total	
		T / L	G / L	F/L	T / L	G / L	F/L	T / L	G / L	F/L	In Acre	In Hect.
1	Gevra (P)	897.26	78.06	215.14	9.63	1.17	42.3	906.89	79.23	257.44	1243.56	503.262
2	Khodri	20.91	6.33	31.91	196.10	31.79	11.85	217.01	38.12	43.76	298.89	120.959
3	Churail	14.77	16.60	0.00	194.47	68.78	0.00	209.24	85.38	0.00	294.62	119.231
	Total	932.94	**100.99**	**247.05**	**400.2**	**101.74**	**54.15**	**1333.14**	**202.73**	**301.2**	**1837.07**	**743.452**

Area Survey Officer
Gevra Area

Nodal Officer (Env.&Forest)
Gevra Area

Nodal Officer (L & R)
Gevra Area

Area Survey Officer
Kusmunda Area

Nodal Officer (Env.&Forest)
Kusmunda Area

Nodal Officer (L & R)
Kusmunda Area

General Manager
Gevra Area

General Manager
Kusmunda Area